<u>न्यायालयः- विशिष्ट न्यायाधीश, अ.जा./अ.ज.जा. (अ.नि.प्र.) झालावाड़ (राज.)</u>

पीठासीन न्यायाधीश - **सुनीता मीणा**, आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

<u>विविध आप. जमानत आवेदन पत्र सं. - 114/2026</u>

(सी.आई.एस.नं.-114/2026)

(CNR No.-RJJW06-000291-2026)

रईस खान पुत्र नासिर खान, उम्र 22 वर्ष, निवासी कुम्हार मोहल्ला भवानीमंडी पुलिस थाना भवानीमण्डी, जिला-झालावाड़ (राज.) **– प्रार्थी/अभियुक्त**

बनाम

राजस्थान राज्य ... **– अप्रार्थी/अभियोगी**

जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस.

प्र.सू.रि.सं.-109/2026 पुलिस थाना भवानीमण्डी

अपराध धारा 189(2), 126(2), 115(2) बी.एन.एस.

एवं धारा 3-1(r)(s), 3-2(va) एस.सी./एस.टी.एक्ट

उपस्थितिः-

1- श्री बबलू प्रजापति, अधिवक्ता, प्रार्थी/ अभियुक्त की ओर से।

2- श्री महेश पाटीदार, विशिष्ठ लोक अभियोजक, राज.राज्य की ओर से।

3- श्री अतिश पंवार, श्री दिलराज मीणा व श्री चैनसिंह लोधा, अधिवक्ता, परिवादी की ओर से।

आदेश **दिनांकः- 27.07.2026**

1- प्रार्थी/अभियुक्त रईस खान की ओर से जमानत का यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस. के तहत् प्रस्तुत किया, जिसकी नकल विद्वान विशिष्ठ लोक अभियोजक को दिलायी जाकर, केस डायरी तलब की गयी।

2- प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 21.03.2026 को परिवादी भरत पुत्र फुलचन्द, उम्र 30 वर्ष, निवासी मैला मैदान भवानीमण्डी, थाना भवानीमण्डी, जिला-झालावाड़ (राज.) ने उपस्थित थाना होकर एक तहरीरी रिपोर्ट इस आशय के तथ्यों की पेश की कि कल रात वह उसका दोस्त राजेन्द्र और रामचरण प्रजापत तीनों मोण्डवी चौराहे पर बैठे थे। उस समय वहां पर अमन और उसके साथ उसके दोस्त शेखर मीणा पुत्र किशन मीणा, बंटी बलई, रईस, बिट्टु ढोली, राणा व अन्य लोग वहां पर आये और अमन पुत्र ईनूस खान ने बिना वजह उनके साथ गाली-गलौच करने लगे, उन्होंने गाली देने से मना किया, तो और उन्हें जाति सूचक शब्द से गाली दी। वे वहां से जाने लगे, तो अमन और उसके साथ आये लोगों ने उन्हें रोक लिया और लठ और लकड़ी से उनके साथ मारपीट करने लगे, एक लकड़ी की उसके बांये पैर में पिण्डली के पीछे लगी तथा उसके दोस्त रामचरण के सिर में लगी। यह सभी लोग वहां से मारपीट कर चले गये। वे रामचरण को सरकारी

अस्पताल ले गये, जिसे वहां से झालावाड रेफर कर दिया। उसके घर वाले ईलाज के लिये झालावाड़ लेकर चले गये। वह आज रिपोर्ट करने आया है, यह बात गत रात 9.00 बजे की है। कड़ी कार्यवाही करने की कृपा करें, इत्यादि। उक्त आशय के तथ्यों की लिखित तहरीरी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना भवानीमण्डी पर प्रथम सूचना रिपोर्ट सं.-109/2026, धारा 189(2), 126(2), 115(2) बी.एन.एस. व धारा 3-1(r)(s), 3-2(va) एस.सी./एस.टी.एक्ट में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। बाद आवश्यक अनुसंधान प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध अपराध धारा 189(2), 126(2), 115(2) बी.एन.एस. व धारा 3-1(r)(s), 3-2(va) एस.सी./ एस.टी.एक्ट प्रमाणित पाये जाने पर प्रार्थी/अभियुक्त को दिनांक 23.07.2026 को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया, जो वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में है।

3- बहस जमानत उभय पक्षकारान सुनी गयी। केस डायरी का अवलोकन किया गया।

4- विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है। पुलिस ने प्रार्थी/अभियुक्त के खिलाफ महज झूंठे तथ्यों के आधार पर मुकदमा बनाया है। प्रार्थी/अभियुक्त ने किसी भी प्रकार का कोई अपराध कारित नहीं किया है। फरियादी ने झूंठे तथ्य पुलिस को बताये है। प्रार्थी/अभियुक्त का पूर्व में कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं है। एफ.आई.आर. के अवलोकन से स्पष्ट है कि बिना वजह गाली-गलौच एवं जाति सूचक शब्दों के प्रयोग का मुख्य एवं विशिष्ठ आरोप अन्य सहअभियुक्त पर है। प्रार्थी/अभियुक्त रईस खान के विरूद्ध ना तो कोई विशिष्ठ गाली-गलौच का आरोप है और ना ही परिवादी अथवा घायल को गंभीर चोट पहुंचाने का व्यक्तिगत या विशिष्ठ आशय है। उक्त प्रकरण में शामिल अन्य सहअभियुक्तगण की जमानत याचिकायें विद्वान न्यायालय द्वारा पूर्व में ही स्वीकृत की जा चुकी है। प्रार्थी/अभियुक्त की भूमिका अन्य सहअभियुक्त से किसी प्रकार से भिन्न नहीं है। अतः समानता के आधार पर प्रार्थी जमानत का पूर्ण हकदार है। प्रार्थी को पुलिस ने जान-बूझकर उक्त प्रकरण में मुलजिम बनाकर फंसाया है। प्रार्थी से अनुसंधान अधिकारी द्वारा सम्पूर्ण अनुसंधान पूरा कर लिया है। प्रार्थी के बच्चों व परिवारजन की देखभाल व भरण पोषण करने की जिम्मेदारी प्रार्थी पर है। उसको जैल भेज देने से उसके परिवार के भूखे मरने की नौबत आ जावेगी। प्रार्थी/अभियुक्त झालावाड़ जिले का स्थाई निवासी है, जिसके भागने एवं फरार होने का अंदेशा नहीं है। उक्त प्रकरण के ट्रायल में समय लगने की संभावना है तथा प्रार्थी/अभियुक्त माननीय न्यायालय में विचारण हेतु सदैव उपस्थित रहेगा

तथा माननीय न्यायालय द्वारा पारित समस्त शर्तों का पालन करेगा। अतः प्रार्थी /अभियुक्त को जमानत का लाभ प्रदान किये जाने का निवेदन किया है।

5- इसके विपरीत विद्वान विशिष्ठ लोक अभियोजक ने उक्त तर्को का घोर विरोध करते हुये, जमानत आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

6- विद्वान अधिवक्ता परिवादी द्वारा प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र पेश कर तर्क दिया है कि मुलजिम आपराधिक किस्म का व्यक्ति है। यदि मुलजिम को जमानत का लाभ दे दिया जाता है, तो जमानत पर आने के बाद प्रार्थी के साथ कोई जानलेवा हमला या हत्या जैसे अपराध कर सकता है तथा गवाहों को डरायेगा धमकायेगा व बरगलायेगा तथा राजीनामे के लिये दबाव बनायेगा तथा गवाहों के साथ भी कोई घटना करवा सकता है तथा प्रकरण के शहादत को बिगाड़ने की पूर्ण कोशिश करेगा तथा हर तरीके से प्रार्थी को नुकसान करेगा तथा मुलजिम के हौसले बुलन्द होगें व मुलजिम को अपराध करने का बढ़ावा व मौका मिलेगा, जिससे समाज में अपराध बढ़ने की भी संभावना बनी रहेगी तथा उक्त केस पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए मुलजिम किसी भी प्रकार से जमानत पाने के लायक नहीं है। प्रार्थी उक्त प्रकरण की सत्यता को लाने, न्याय पाने व मुलजिम को उसके कृत्य की सजा दिलाने हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र पेश करता है, इसलिये मुलजिम की जमानत अस्वीकार कर खारिज किया जाना न्यायिहत में आवश्यक है। अतः उपरोक्त प्रकरण में मुलजिम का जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करने की प्रार्थना की है।

7- उभय पक्षकारान के तर्कों पर मनन किया गया। केस डायरी का अवलोकन किया गया।

8- केस डायरी के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर विधि विरूद्ध जमाव का गठन करने तथा उक्त विधि विरूद्ध जमाव के सदस्य रहते हुए परिवादी भरत व उसके साथीगण के साथ मारपीट करने के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में उसका सदोष अवरोध कारित करते हुए, स्वेच्छया उसे उस दिशा में जाने से निवारित किया, जिस दिशा में उसे जाने का विधिक अधिकार था तथा परिवादी के साथ इस आशय से या यह संभाव्य जानते हुए कि उसे उपहति कारित होगी, स्वेच्छया कुन्दालय हथियार से मारपीट कर साधारण उपहतियां कारित किये जाने तथा परिवादी के जाति से हरिजन होकर अनुसूचित जाति का सदस्य होना जानते हुए, उसे जनता के लिये दृष्टिगोचर सार्वजनिक स्थान पर जाति सूचक शब्दों से संबोधित कर अपमानित व

प्रकोपित किये जाने तथा उसके साथ उक्त अपराध कारित किये जाने संबंधी धारा 189(2), 126(2), 115(2) बी.एन.एस. एवं धारा 3-1(r)(s), 3-2(va) एस.सी./एस.टी.एक्ट के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोप है। प्रार्थी/अभियुक्त का आपराधिक रिकार्ड केस डायरी पर उपलब्ध है, जिसके अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध एक प्रकरण दर्ज होना बताया गया है, परन्तु उक्त प्रकरण में दोषसिद्धि बाबत् कोई अभिलेख केस डायरी पर उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त पर आरोपित अपराध में मृत्युदण्ड अथवा आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान नहीं है। प्रकरण के अन्वेषण एवं विचारण में समय लगने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में इस स्तर पर प्रकरण के गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना मामले के समस्त तथ्यों प्रकृति व परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत का आवेदन स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

9- अतः प्रार्थी/अभियुक्त रईस खान पुत्र नासिर खान, उम्र 22 वर्ष, निवासी कुम्हार मोहल्ला भवानीमंडी, पुलिस थाना भवानीमण्डी, जिला-झालावाड़ (राज.) की ओर से प्रस्तुत जमानत का यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस., पुलिस थाना भवानीमण्डी की प्रथम सूचना रिपोर्ट सं.-109/2026 में एतद्द्वारा स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त न्यायालय के संतुष्टिप्रद 50,000/-(पचास हजार) रूपये की मौतबिर जमानत व इसी कदर राशि का स्वयं का मुचलका न्यायालय में प्रत्येक पेशी पर उपस्थिति बाबत् पेश कर तस्दीक करा दे, तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर आजाद कर दिया जावे, अन्यथा न्यायिक अभिरक्षा में रखा जावे।

(सुनीता मीणा)
विशिष्ट न्यायाधीश
अनु.जा./अनु.ज.जा. (अ.नि.प्र.)
झालावाड़ (राज.)

10- आदेश आज दिनांक **27.07.2026** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं हस्ताक्षरित व मुद्रांकित किया गया।

(सुनीता मीणा)
विशिष्ट न्यायाधीश
अनु.जा./अनु.ज.जा. (अ.नि.प्र.)
झालावाड़ (राज.)

<u>प्रमाण पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि निर्णय/आदेश में किए गए सभी संशोधनों को अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

(कमलेश टेलर)
स्टेनो ग्रेड़-प्रथम

नोटः- यह प्रतिलिपि प्रार्थी/अधिवक्ता की जानकारी के लिए है। सत्यापित प्रतिलिपि न्यायालय से प्राप्त कर सकते है।